


ARBIT**Early Aircrafts
1903-1914****जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिणौनसिटी • चूरू**

राष्ट्रदूत

Rashtradoot

Metro

Smaller countries like Denmark, Norway and even far away Japan, all wanted an aircraft of their own and experimented with all kinds of aircraft techniques.

Protein That Makes Us Feel Cold

The GluK2 gene has relatives across the evolutionary tree, going all the way back to single-cell bacteria.

अशोक गहलोत, पूर्व मु.मंत्री आधा घंटे मुकुल वासनिक से मिश्रत करते रहे कांग्रेस-हनुमान बेनीवाल गठबंधन करवाने के लिये

वासनिक भारी तनाव में हैं, एक तरफ पार्टी के सभी दिग्गज, बेनीवाल से गठबंधन के खिलाफ एकजुट हैं, दूसरी तरफ हैं पुराने “मित्र” गहलोत, जो गठबंधन कराने को कठिबद्ध हैं

-रेप प्रिजल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूगो-
नई दिल्ली, 18 मार्च। अशोक गहलोत इन दिनों बेहद हताश और उत्तराश हैं। कल राहुल गांधी की न्याय यात्रा के सामान अवसर पर मुझ्बद्द में इण्डिया गठबंधन के लिए भी मेंगा रैली आयोजित है, लेकिन राजनीति के पूर्व मुख्यमंत्री आधा घंटे से अधिक समय तक मुकुल वासनिक के साथ रहे और उसके अनुरोध करते रहे कि जालोर की एकमात्र सीटी रहने के लिये हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन पर सहमत हुआ जाए।

गहलोत, बेनीवाल की पार्टी के अलावा बिस्ती अन्य पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर गंभीर नहीं है। स्मरण रहे कि पिछले चुनाव के दौरान हरीश चौधरी की ओर बयान दिया था कि हनुमान बेनीवाल अशोक गहलोत की ओर होते हैं।

यह बात कई चुनावों में बार-बार सही सांकेतिक हुई है।

समझा जाता है और कांग्रेस के कई

- पिछले चुनाव में हरीश चौधरी ने खुला आरोप लगाया था कि, हनुमान बेनीवाल गहलोत की “बी” टीम हैं, जिसका उपयोग वे कांग्रेस के ही उन उम्मीदवारों को हराने के लिए उपयोग करते हैं, जो गहलोत को माफिक नहीं आ रहे होते हैं।
- इसके अलावा बेनीवाल जोधपुर में गहलोत को जाट वोट दिलाने में भारी मददगार होते हैं।
- आज वैभव गहलोत अपनी टीम के बीस-तीस लोगों को लेकर जालोर-सिरोही से प्लेन द्वारा चेवर्फ पहुंचे।
- अशोक गहलोत भी मुझ्बद्द से चेवर्फ पहुंचे, जहां वो जालोर-सिरोही के व्यापारियों से मिले, उनको अपने ही गांव में वैभव को वोट दिलाने के लिये तैयार करने।
- कल ऐसी ही मीटिंग बैंगलोर में और परसों हैदराबाद में आयोजित की गई।

सीनियर नेता भी इस बात का समर्थन उपयोग किया है, जिन्हें वह स्वयं करते हैं कि अशोक गहलोत ने कई हरावाना चाहते थे। वह जोधपुर के जाट चुनावों में कांग्रेस के उन अवांछित वोट प्राप्त करने के लिए भी बेनीवाल का इस्तेमाल करते हैं।

यह बात कई चुनावों में बार-बार सही सांकेतिक हुई है।

समझा जाता है और कांग्रेस के कई

जात हुआ है कि अशोक गहलोत बेनीवाल को उपकूल करना चाहते हैं ताकि वह परिवार में भी उनका उपयोग कर सके।

पता चला है कि मुकुल वासनिक गहलोत दबाव में है।

एक तरफ तो समूची कांग्रेस पार्टी बेनीवाल के साथ किसी प्रकार के गठबंधन के विरोध में है, वहीं बेनीवाल के पुराने एवं पक्ष के दोस्त उनके साथ गठबंधन के पक्ष में हैं, वहींकि गहलोत जब राजस्थान के प्रधारी थे तब बेनीवाल ने उनके लिए 9 साल तक काम किया था।

दिलचस्प यह है कि अशोक गहलोत आज अपने पुराने वैभव गहलोत के साथ चेन्नई में हैं। यहां वे चुनाव प्रचार के लिए गए हैं। चेन्नई में निवासरत जालोर-सिरोही के प्रवासी राजस्थानीयों की एक मीटिंग रखी गई है, ताकि इन्हें वैभव को बोट देने के लिए राजी किया जा सके। वैसे हँसे भाजपा का बोट माना जाता है। ऐसी ही एक मीटिंग कल (शेष पृष्ठ 6 पर)

चुनाव आयोग ने कई शीर्ष अफसर बदले

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूगो-
नई दिल्ली, 18 मार्च। चुनाव

■ चुनाव आयोग ने बी.एम.सी. के कमिशनर व प.ब.बंगल के पुलिस प्रमुख सहित, यू.पी., बिहार, गुजरात, झारखण्ड, हिमाचल और उत्तराखण्ड के गृह सचिव बदल दिए।

आयोग ने सोमवार को एक आदेश जारी (शेष पृष्ठ 6 पर)

अडानी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने तुकराई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूगो-
नई दिल्ली, 18 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अडानी फैसले

इलैक्टोरल बॉण्ड का युद्ध सुप्रीम कोर्ट में और उग्र हुआ

-रेणु मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूगो-
नई दिल्ली, 18 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने एक घमासान संघर्ष चल रहा है। सरकार ने इलैक्टोरल बॉण्ड समझौते में अपनी और बिहारी उड़ड़ों से रोकने और चीफ जस्टिस का कानून में रखने को लेकर अपने दिग्गज वकील उत्तर, लेकिन चीफ जस्टिस कानून को अडानी फैसले

■ मुख्य न्यायाधीश ने एस.बी.आई. के अध्यक्ष को आदेश दिया कि, 21 मार्च को शपथ-पत्र दें कि, एस.बी.आई. ने इलैक्टोरल बॉण्ड के बारे में उनके पास उपलब्ध सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे दी है।

■ विधक का मानना है कि, सारी जानकारी मिलने से वे आसानी से सांवित कर देंगे कि, कैसे उद्घोषितियों के हाथ मोड़ कर सरकार ने उनसे राशि प्राप्त की है इलैक्टोरल बॉण्ड के जरिये।

■ मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सरकार की यह अपील भी खारिज की कि, सोशल मीडिया में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, इलैक्टोरल बॉण्ड प्रकरण पर, अतः सुप्रीम कोर्ट इस गतिविधि पर लोक लगाये।

■ मु. न्यायाधीश ने काटक भी किया कि, कंधे बहुत चौड़े हैं, वे सोशल मीडिया के तीखी खबरों को आसानी से छील सकते हैं।

■ मु. न्यायाधीश के अनुसार, निर्णय सुनाये जाने के बाद वह सार्वजनिक सम्पत्ति हो जाता है, अतः उस पर बहस करना व टिप्पणी करना सबका अधिकार है।

फण्डस देने के लिए बाध्य किया है। हां सरकार की तरफ से कोई से अनुरोध किया गया कि वह इस रोकने के लिए कोई दिशा-निर्देश दे। इस केस से संबंधित बहुत सी जानकारी सोशल मीडिया पर आ गई है जिससे काफी ताकत है वह इस सहन कर लेगा। (शेष पृष्ठ 6 पर)

मु.मंत्री भजन लाल भाजपा केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा द्वारा ली गई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे



जयपुर, 18 मार्च (का.सं.)। लोकसभा चुनावों के लिए, राजस्थान में बची 10 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा शीर्ष होने की संभावना है।

■ बैठक में राजस्थान की शेष 10 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद भाजपा नेतृत्व प्रत्याशियों की अगली लिस्ट जारी कर सकता है।

■ बैठक में राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सी.पी. जोशी भी शामिल हुए।

मु.मंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सी.पी. जोशी एवं अन्य नेताओं के साथ दिल्ली में भाजपा संदेल इलैक्शन कमेटी की बैठक में शामिल हुये।

हिमाचल के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट का झटका

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूगो-
नई दिल्ली, 18 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के सीकर द्वारा कांग्रेस के छह विधायकों को पद से अयोग्य ठहराये के निर्णय पर स्टे देने से सोमवार को इन्कार कर दिया। इन्हें उक्त दो समीक्षियों को इन्होंना लिया गया है।

शीर्ष अदानी ने इन सभी विधायकों को बोट देने के अनुमति नहीं दी है तबा उन्हें संबंधित जनकारी विधायियों में भाग लेने से भी रोक दिया गया है।

कांग्रेस के इन पूर्व विधायकों ने हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह परमुख के निर्णय के विरुद्ध एक याचिका दायर की थी। कांग्रेस के इन विधायियों ने इन विधायियों को पद से अयोग्य ठहराये के निर्णय पर स्टे देने से सोमवार को इन्कार कर दिया। इन्हें उक्त दो समीक्षियों को इन्होंने लिया गया है।

कांग्रेस के इन पूर्व विधायकों ने हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह परमुख के निर्णय के विरुद